संख्या-6/2015/312/26-3-2015-10(14)/2014

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 25 मार्च, 2015

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में ग्राम चकगुमानी, विधानसभा क्षेत्र ज्ञानपुर जनपद संतरविदास नगर (भदोही) में कक्षा 01 से 12 तक के 480 क्षमता के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना हेतु धनराशि स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1209/स0क0 /विकास/2014-15 दिनांक 27.01.2015 के संदर्भ में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/ दस-2014-231/2012, दिनांक 22-7-2014 में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम चकगुमानी, विधानसभा क्षेत्र ज्ञानपुर जनपद संतरविदास नगर (भदोही) में कक्षा 01 से 12 तक के 480 क्षमता के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना/भवन निर्माण हेतु प्रभाग द्वारा अनुमोदित लागत रू0 1305.19 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष वर्ष 2014-15 में प्रथम किस्त के रूप में रू0 522.07 लाख (रूपये पांच करोड़ बाइस लाख सात हजार मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0 कार्यदायी संस्था के साथ एम0ओ0यू0(अनुबंध)करने के बाद ही आहरित करके कार्यदायी संस्था यू0पी0स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 को आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(2) उक्त धनराशि का व्यय वित्त (बजट) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-7-2014 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा। उक्त स्वीकृति धनराशि का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्राप्त होने पर उक्त कार्यालय ज्ञाप में निहित प्राविधानों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुसार धनराशि स्वीकृति किये जाने पर नियमानुसार विचार किया जायेगा। धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत प्रायोजना की लागत का आकलन प्रस्तावित मात्राओं एवं विशिष्टियों का यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा। कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होगें। उक्त प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यो का निर्माण कार्य निर्धारित समय में अवश्य पूर्ण करा लिया जाये। ताकि परियोजना की लागत में कास्ट ओवररन की स्थिति पैदा न हो। धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर खाता में नहीं रखी जायेगी।

(4) उक्त प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(5) उक्त प्रायोजना के लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि, सामान्य फाउण्डेशन के स्थान पर पाइल/राफ्ट फाउण्डेशन पर निर्माण कराया जाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्वानुमोदन प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अनुमोदित कार्यो की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्रांइग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नही किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत प्रायोजना के सम्बन्ध में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर/वनविभाग की अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा एवं प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों का आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान सं0-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-"4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01- अनुसूचित जातियों का कल्याण- आयोजनागत-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 07- राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय -24- बृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-514/दस-2015, दिनांक 24 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

संख्या- 6/2015/312(1)/26-3-2015 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट कैसरबाग, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, संतरविदास नगर (भदोही)।
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी, संतरविदास नगर (भदोही)।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
7. प्रबंध निदेशक, यू0पी0स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0
8. अधीक्षण/अधिशाषी अभियन्ता, संतरविदास नगर (भदोही) जनपद इकाई।
9. निदेशक, एन0आई0सी0।
10. सलाहकार, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
11. गार्डफाइल

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।